


## महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

## एवं ज्य परियोजना निदेशक कार्यालय



समग्र शिक्षा, विद्या अवन, निशासनंज, स्वानक -226 007 .com ई-जेन: upofespo@pmail.com दृशायः 0822-40244

खनक -226 007 च्याचा 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक.

राज्य परियोजना निदेशक, रकूल शिक्षा, उ०प्र0 लखनऊ।

सेवा में.

श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव, रकूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांकः रा०प०नि० /

/2021-22 / लखनऊ

दिनांकः **प्रा**न्टा फ्रम्बरी, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू—डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू—डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि 'कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण—पत्र अपलोड कर प्रेषित करें'।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग—6 के शासनादेश संख्या—419/79—6—2013—18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु— 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्ट्या निर्धारित प्रारूप पर नियमावधी में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शतों के उल्लंधन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकृत तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी हैं के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू—डायस कोड आवटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश / समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

्र (अनीमिका सिंह) राज्य परियोजना निदेशक।

भवदीया.

पृष्ठांकनः रा0प0नि0 / 56 57 / 2021-22 / लखनऊ / तद्दिनांक प्रतिलिपिः

- 1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू—डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइटिस्ट--एफ)
- 3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)